उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 14.05.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा सम्बन्धित को समस्या निस्तारण हेतु जरिये दूरभाष दिये गये आवश्यक निर्देश।

जनपद महोबा में पीड़ित/शिकायतकर्ता की समस्याओं के समुचित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की जा रही है, जनता की समस्याओं के समाधान के क्रम में आज दिनांक 14.05.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं एवं समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा जनता की समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित को मौके पर जरिये दूरभाष आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित को आदेशित किया गया कि मौके पर तत्काल जाकर शिकायतों की निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करें, लापरवाही की सूचना पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की चेतावती प्रदान की गयी साथ ही शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

मिशन शक्ति अभियान के तहत नारी सुरक्षा, नारी स्वाबलंबन एवं नारी सम्मान हेतु विशेष अभियान चलाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को चौपाल/पुलिस की पाठशाला लगाकर जागरूक किया जा रहा है।

मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद महोबा के थानों में नियुक्त एण्टीरोमियो/शक्ति दीदी टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के ग्रामों में भ्रमण कर जनचौपाल का आयोजन कर महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत आज दिनांक 14.05.2024 को शक्ति दीदी (महिला बीट तथा महिला हेल्प डेस्क) के माध्यम से जनपद के थानों पर आउटरीच प्रोग्राम चलाकर अपने-अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत आबादी क्षेत्र, बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, मेलों एवं गांव में पहुंचकर बालिकाओं/छात्राओं एवं महिलाओं को महिला उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिकारों एवं महिला उत्पीड़न के संबंध में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जागरूक किया गया तथा

इस दौरान महिलाओ एवम् बालिकाओं को मिशन शक्ति (नारी सुरक्षा,नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन) अभियान के तहत महिला सुरक्षा व बचाव संबंधी जानकारी दी गई और विभिन्न परिस्थियों पर उनके सहायतार्थ जारी हेल्प लाइन नम्बर-112, 108, 181, 1076, 1090,1098 की जानकारी देते हुए संकट के समय इनके प्रयोग की विस्तृत जानकारी दी गई । साइबर अपराधों से बचाव के बारे में बताया गया और यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर अपराध की घटना घटित होती है तो तत्काल साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये सूचना दर्ज होने के उपरान्त त्वरित कार्यवाही की जायेगी

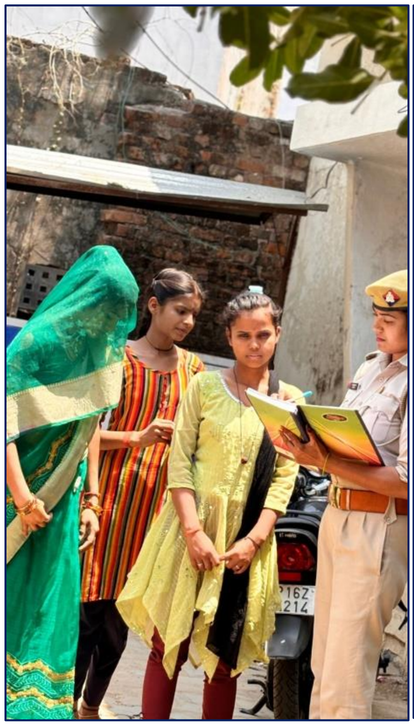

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 14.05.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने

गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत जनपद में अवैध जुंआ/सट्टा के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 14.05.2024 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्रीमती हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राधेश्याम वर्मा थाना महोबकंठ के कुशल नेतृत्व में गठित टीम के उ0नि0 सनय कुमार द्वारा भ्रमण/चेकिंग के दौरान ग्राम सौरा तालाब के किनारे बने मंदिर के पास से 01 नफर अभियुक्त अरुण राजपूत पुत्र छविलाल उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम पठा थाना मऊरानीपुर जनपद झांसी को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त उपरोक्त मु0अ0स0 97/24 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना पनवाड़ी जनपद महोबा मे वांछित था। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद किया गया, गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 103/24 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम का अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अरुण राजपूत पुत्र छविलाल उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम पठा थाना मऊरानीपुर जनपद झासी

बरामदगी-01 अदद देशी तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 सनय कुमार
2. प्रशिक्षु उ0नि0 अनुज कुमार सिंह
3.हे0का0 राजेश कुमार